

रा.आ.बैंक (नदि)/डीआरएस/नीति परिपत्र सं.89/2017-18

14 जून, 2018



सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.),

महोदया/महोदय,

भारतीय लेखांकन मानक का कार्यान्वयन

कंपन्या शीर्षांकित विषय पर दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के परिपत्र सं. रा.आ.बैंक (नदि)/डीआरएस/नीति परिपत्र सं.88/2017-18 का संदर्भ लें।

2. यह दोहराया जाता है कि आवास वित्त कंपनी को दिनांक 30 मार्च, 2016 के अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 365(ई) के माध्यम से कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित कार्यान्वयन की तिथि सहित समय-समय पर भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित है। आ.वि.कं. से उचित पद्धतियां, आकार के साथ अनुरूप प्रणाली/ प्रक्रिया, जटिलता, जोखिम प्रोफाइल आदि को अपनाने की उम्मीद है, जो भारतीय लेखांकन मानक लागू करते समय उनके लिए विशिष्ट है।

3. हालांकि, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग सहित, विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयोजनों के लिए, आ.वि.कं. समय-समय पर रा.आ.बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड और अन्य संबंधित परिपत्र आदि पर ढांचा सहित राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और आवास वित्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश 2010 के मौजूदा प्रावधानों का पालन करना जारी रखेगी। आ.वि.कं. को आ.वि.कं. के वित्तीय विवरणों के भाग में उपरोक्त मामले में अनुपालन प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त प्रकटीकरण/ विवरण प्रदान करना अपेक्षित है।

भवदीय,

(वी.वैदीश्वरण)

महाप्रबंधक

विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवा तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष नं. पी. बी. एक्स-011-3918 7000 फ़ैक्स : 011-2464 6988
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in

Wholly owned by Reserve Bank of India

Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone : PBX 011-3918 7000 Fax : 011-2464 6988

Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”